



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू. पी. एल. सं. 1027/2011

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक (खुदरा), बिलासपुर
खुदरा मंडल कार्यालय, प्रथम तल बाजपेयी पवेलियन, गुंवर पेट्रोल पंप के सामने,
व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 495001.

..... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

- 1- सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नव भारत प्रेस परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 2- कर्मचारी भविष्य निधि अधिकरण, नई दिल्ली, स्कोप मीनार, कोर-II, चतुर्थ तल, लक्ष्मी नगर जिला-केंद्र, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली।

..... उत्तरवादी(गण)

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से ग्रहित)

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री यश मौर्य, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण के लिए	:	श्री अजय कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे

पीठ पर पारित आदेश

दिनांक 04.02.2025

- 1) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष(षों) की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है:-

“10.i.कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण अर्थात् उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा प्रकरण क्रमांक एटीए 625(8)/2001 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26/05/2010 (अनुलग्नक पी/2) को कृपया रद्द करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अपीलीय अधिकरण ने उत्तरवादी संख्या 1 के आदेश दिनांक 4/9/2001 (अनुलग्नक पी/2) की पुष्टि की है।



ii. उत्तरवादी सहायक भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/09/2001 अनुलग्नक पी/1 को रद्द करने की कृपा करें, जिसमें याचिकाकर्ता को लदान/ढुलाई श्रमिकों के लिए नियुक्त ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, और इसे विधिक रूप से दोषपूर्ण अभिनिर्धारित किया गया था।

iii. कृपया कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, अर्थात् उत्तरवादी सं.2 द्वारा प्रकरण संख्या एटीए 625(8)/2001 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26/05/2010 (अनुलग्नक पी/2) को रद्द करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण ने उत्तरवादी सं.1 के आदेश दिनांक 4/9/2001 (अनुलग्नक पी/2) की पुष्टि की है।

iv. उत्तरवादी सहायक भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/09/2001 अनुलग्नक पी/1 को रद्द करने की कृपा करें, जिसमें याचिकाकर्ता को लदान/ढुलाई श्रमिकों के लिए नियुक्त ट्रांसपोर्टर के कर्मचारियों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, और इसे विधिक दृष्टि में दोषपूर्ण होना अभिनिर्धारित किया गया था।

v. कृपया उत्तरवादी को अनुलग्नक पी/1 के अनुसार उपरोक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने से निषिद्ध किया जाए तथा याचिका के अंतिम निराकरण तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य दंडात्मक/बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए।

vi. कृपया उत्तरवादीगण से प्रकरण के अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

v. कोई अन्य अनुतोष जिसे माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, प्रदान करने की कृपा करे। "

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं: -

क.) याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी। वर्ष 1979 में, केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी को एक नियंत्रित उद्योग घोषित किया गया था। रायपुर में एलपीजी संयंत्र, जिसे याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था, केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था।



ख.) एच.पी.सी.एल. वर्ष 2004 तक संयंत्र का अभिरक्षक बना रहा। नवंबर, 2004 में याचिकाकर्ता कंपनी का एच.पी.सी.एल. में विलय हो गया और वर्तमान में इस संयंत्र को विभिन्न विक्रेताओं को बोटलबंद गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए एच.पी.सी.एल.पी.जी. बॉटलिंग संयंत्र कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने डीलरों के स्तर पर प्लांट से सिलेंडरों की लदान/दुलाई के लिए विभिन्न ठेकेदारों को ठेके दिए थे। लदान/दुलाई की व्यवस्था के लिए, ट्रांसपोर्टरों ने कभी भी स्थायी मजदूरों को नियुक्त नहीं किया था। जिन ट्रांसपोर्टरों को ठेका दिया गया था, उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों के साथ परिवहन संविदा किया था।

ग.) पेट्रोलियम कर्मचारी संघ ने लदान/दुलाई मजदूरों की ओर से सहायक भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर (संक्षेप में, ए. पी. एफ. सी.) के समक्ष इस आशय का आवेदन किया था कि एच. पी. सी. एल. भविष्य निधि योजना के लदान/दुलाई मजदूरों को सदस्य बनाने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। ए. पी. एफ. सी. ने एच. पी. सी. एल. को दिनांक 03.06.1998 को एक पत्र भेजा था जिसमें लदान/दुलाई मजदूरों को भी भविष्य निधि लाभ देने का निर्देश दिया गया था।

घ.) याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान ने एक जवाब दायर किया और कथन किया कि लदान/दुलाई मजदूर न तो याचिकाकर्ता के स्थापन के कर्मचारी हैं और न ही याचिकाकर्ता प्रमुख नियोक्ता है। एपीएफसी ने दिनांक 07.08.1998 को सम्मन जारी किया और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (संक्षेप में अधिनियम, 1952) की धारा 7 (ए) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की।



ड.) याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया और अभिवाक किया कि ट्रांसपोर्टर लदान/दुलाई के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोडरों को परिवहनकर्ताओं द्वारा भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाता है। मजदूरों और याचिकाकर्ता के स्थापन के बीच कोई कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नहीं है। दिनांक 14.10.1998 को इस आशय का एक अतिरिक्त निवेदन दायर किया गया था कि गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

च.) दिनांक 08.04.1999 को विभाग ने दो साक्षियों अर्थात् संजय देशलहरा, जयदीप गैस एजेंसी, सेक्टर-10, भिलाई के स्वत्वधारी (ठेकेदार) की परीक्षा की जिन्होंने कथन किया था कि मंदिर हसौद स्थित एचपीसीएल प्लांट से भरे सिलेंडरों के परिवहन के लिए वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मजदूरों की सेवाएं लेते हैं, जो सामान्यतः एचपीसीएल गेट के बाहर मिल जाते हैं। इस साक्षी ने आगे कथन किया था कि लदान/दुलाई कार्य के प्रयोजन से कोई स्थायी मजदूर नहीं हैं। उन्होंने यह भी कथन किया था कि उन्हें मजदूरों के ठिकाने की जानकारी नहीं है। विभाग ने ठेकेदार जगदीश छतवानी की भी परीक्षा की, जिसने श्री संजय देशलहरा द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया था।

छ.) दिनांक 21.03.2001 को, याचिकाकर्ता ने इस आशय के लिए अतिरिक्त तर्क दिया था कि सिलेंडरों की लदान/दुलाई ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी है और वे अपनी पसंद के लोगों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ज.) दिनांक 04.09.2001 को, एपीएफसी ने आदेश पारित किया कि सिलेंडरों के परिवहन के कार्य के संबंध में लगे लदान/दुलाई मजदूर ट्रांसपोर्टरों के कर्मचारी हैं



और याचिकाकर्ता उनका मुख्य नियोक्ता है और याचिकाकर्ता को लदान/ढुलाई श्रमिकों के सभी अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

झ.) याचिकाकर्ता ने ई. पी. एफ., नई दिल्ली के समक्ष आदेश दिनांक 04.01.2001 के विरुद्ध अपील की।

ज.) दिनांक 11.01.2002 को, उत्तरवादीगण ने अपना जवाबी शपथपत्र दायर किया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 26.05.2010 के अंतर्गत अपील को निरस्त कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि स्थापन से संबंधित कार्य के लिए ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अधिनियम, 1950 की धारा 2च के अंतर्गत परिभाषित कर्मचारी हैं।

ट.) अपीलीय अधिकरण ने माल ढोने/उतारने वाले मजदूरों को याचिकाकर्ता के स्थापन के कर्मचारी माना था। याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करके दोनों आदेशों को चुनौती दी है।

- 3) याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री यश मौर्य ने तर्क प्रस्तुत किया था कि आदेश दिनांक 04.09.2001, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को परिवहन कर्मचारियों के अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, अवैध और गलत है। उन्होंने तर्क दिया कि ए.पी.एफ.सी. को इस तथ्य पर निर्णय लेना चाहिए था कि क्या परिवहनकर्ता अधिनियम, 1952 के अंतर्गत समाविष्टि के लिए उत्तरदायी हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या लदानकर्ता/ढुलाईकर्ता, जो आकस्मिक रूप से कार्यरत हैं, अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लदान/ढुलाई मजदूरों का मुख्य नियोक्ता नहीं है और उन मजदूरों का



ठिकाना भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि परिवहन स्वतंत्र स्थापन हैं; वे बी. पी. सी. एल. और आई. ओ. सी. एल. आदि जैसे अन्य संगठनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ए. पी. एफ. सी. ने कभी भी मजदूरों को सत्यापन के लिए नहीं बुलाया था और उनके साक्ष्य दर्ज किए बिना, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने भारतीय खाद्य निगम विरुद्ध भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य [(1990) 1 SCC 68] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय; गोपी टॉकीज विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य [डब्ल्यूपी (एल) संख्या 5521/2011 दिनांक 01.02.2022, इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा पारित] ; बसंत कुमार मोहंती विरुद्ध उड़ीसा राज्य [1991 SCC OnLine Ori 314] में दिए गए उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय; बीओसी इंडिया लिमिटेड (जिसे पहले इंडियन ऑक्सीजन, लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) विरुद्ध सहायक क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य ((2004 SCC OnLine AP 701) में पारित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय; स्पिंगडेल्स स्कूल्स एवं अन्य विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य ((2005 SCC OnLine Del 1457), दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद और अन्य (2007 SCC OnLine AP 894); और शियोंग शि टेनरी एवं अन्य विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य (2019 SCC OnLine Cal 5895) के प्रकरणों में निर्णयों का अवलंब लिया।

- 4) दूसरी ओर, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान श्री अजय कुमार द्विवेदी ने श्री मौर्य द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जांच के दौरान पी. आई. टी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. और इसके लदान और ढुलाई ठेकेदारों के



बीच एक करार किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि करार के अनुसार, ठेकेदार विभिन्न श्रम विधियों अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का पालन करने के लिए विधि द्वारा আবদ্ধ हैं।

- 5) यह प्रस्तुत किया गया है कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र को भी निष्पादित किया गया था जिसमें नौ खंड हैं और विशेष रूप से, खंड चार अधिनियम 1952 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के दायित्व से संबंधित है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के साक्षियों ने क्षतिपूर्ति बंधपत्र के विपरीत अभिवाक किया है, इसलिए, उत्तरवादी अधिकारियों ने उनके साक्ष्य को निरस्त कर दिया। उन्होंने आगे व्यक्त किया कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार सख्ती से जांच की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 2 च के अंतर्गत प्रदान की गई 'कर्मकार' की परिभाषा के अनुसार, माल ढोने और उतारने वाले मजदूर याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध मजदूरों के दायरे में आएंगे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ई.पी.एफ.सी. और विद्वान् अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है। इसके समर्थन में, उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम विरुद्ध हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड [1993 LawSuit (SC) 660], और मेसर्स आईटीसी लिमिटेड सेक विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि, नई दिल्ली [रिट याचिका संख्या 11270/2010] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लिया और निवेदन किया कि यह याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।



- 6) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और दस्तावेजों का अध्ययन किया।
- 7) भारतीय खाद्य निगम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम 1952 की धारा 7(ए) के प्रावधानों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि धारा 7(ए) के अंतर्गत जांच करते समय आयुक्त के पास वही शक्तियां होती हैं जो किसी विचारण की सुनवाई के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक न्यायालय में निहित होती हैं। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आयुक्त को उक्त अधिनियम के अंतर्गत संदेय राशि का अवधारण करने से पहले प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग करना होगा। आयुक्त को किसी व्यक्ति की उपस्थिति को प्रवृत्त करने और दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता वाले शपथ पर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अधिकृत किया जाता है। आयुक्त श्रमिकों की पहचान करके अंशदान और अन्य देय राशि के संदाय में वास्तविक ठोस अंतर अवधारित करने के लिए बाध्य है। प्रासंगिक कंडिका 7 से 9 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“7. हमारे मत में प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आयुक्त, जो वैधानिक प्राधिकारी है, ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत संदेय राशि का अवधारण करने से पहले प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग किया है।

8. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा (7ए) के अंतर्गत जांच करते समय आयुक्त के पास वही शक्तियां होती हैं जो किसी वाद के विचारण की सुनवाई के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में निहित होती हैं। यह धारा निम्नानुसार है:

"7क. नियोजकों द्वारा शोध्य धन का अवधारण-

(1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोई भी केंद्रीय भविष्य-निधि अपर आयुक्त, कोई भी भविष्य निधि उपायुक्त, कोई भी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त या कोई भी भविष्य निधि सहायक आयुक्त,



आदेश द्वारा-इस अधिनियम के किसी उपबंध (योजना या कुटुंब पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसी भी स्थिति हो) के अधीन किसी नियोजक से देय रकम अवधारित कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने या शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश करने की अपेक्षा करने ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेने ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और ऐसी कोई जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।"

9. उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि आयुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति लागू करने और शपथ पर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अधिकृत है। उसके पास दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण कराने का अधिकार है। यह शक्ति आयुक्त को विधि के अमूर्त प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए नहीं दी गई थी, अपितु केवल कर्मचारों की पहचान करके अंशदान और अन्य संदेय राशि के संदाय में वास्तविक ठोस अंतर निर्धारित करने के लिए दी गई थी। आयुक्त को उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्य एकत्र करने और सभी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यह आयुक्त का विधिक कर्तव्य है। यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता होगी, विशेष रूप से जब कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी विशेष व्यक्ति से साक्ष्य बुलाने का अनुरोध करता है।"

8) गोपी टॉकीज (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, समन्वय पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि आयुक्त का दायित्व है कि वह कर्मचारियों के विवरण, कर्मचारियों की आय या कर्मचारियों के विवरण एकत्र करे, जो ईपीएफ बकाया के अवधारण के लिए आवश्यक हैं। यह भी आगे





अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारियों की पहचान के बिना, अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक कंडिका 11, 12 और 13 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“11. ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7-ए में पारित आदेश के अवलोकन से, यह कर्मचारी के विवरण, कर्मचारी की कमाई या कर्मचारी के विवरण को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो ईपीएफ बकाया के अवधारण के लिए आवश्यक हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम विरुद्ध भारत संघ (1990) 1 SCC 68 के प्रकरण में, निर्देशित किया है लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए, इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा (7ए) के अंतर्गत जांच करते समय आयुक्त के पास वही शक्तियां होती हैं जो किसी वाद का विचारण करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में निहित होती हैं। यह धारा निम्नानुसार है:

"7क. नियोजकों द्वारा शोध्य धन का अवधारण-

(1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोई भी केंद्रीय भविष्य-निधि अपर आयुक्त, कोई भी भविष्य निधि उपायुक्त, कोई भी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त या कोई भी भविष्य निधि सहायक आयुक्त, आदेश द्वारा- इस अधिनियम के किसी उपबंध (योजना या कुटुंब पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसी भी स्थिति हो) के अधीन किसी नियोजक से देय रकम अवधारित कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने या शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश करने की अपेक्षा करने ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेने ;



(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और ऐसी कोई जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।"

उपर्युक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि आयुक्त को 'किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर जांच करने का अधिकार है। उसके पास दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतिकरण का अधिकार है। यह शक्ति आयुक्त को विधि के अमूर्त प्रश्नों का विनिश्चय करने के लिए नहीं दी गई थी, अपितु केवल कर्मकारों की पहचान करके अंशदान और अन्य संदेय राशि के संदाय में वास्तविक ठोस अंतर निर्धारित करने के लिए दी गई थी। आयुक्त को उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी साक्ष्य एकत्र करने और सभी सामग्री को इकट्ठा करने के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यह आयुक्त का विधिक कर्तव्य है। यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता होगी, विशेष रूप से जब कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी विशेष व्यक्ति से साक्ष्य बुलाने का अनुरोध करता है।

12. पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश वन निगम विरुद्ध आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि (2008) 5 SCC 756 के प्रकरण में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"5....हम तदनुसार अपीलों को निरस्त करते हैं, परन्तु इस अनुशंसा को दोहराते हैं कि निगम से शोध्य राशि केवल उन कर्मचारियों के संबंध में अवधारित की जाएगी जो पहचान योग्य हैं और जिनकी पात्रता साक्ष्य के आधार पर साबित की जा सकती है और यदि निगम के पास अभिलेख उपलब्ध नहीं है (इस विलम्बित चरण में), तो निगम को अपने नुकसान की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या इस आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। इस बहुत छोटे संशोधन के साथ, हम अपीलों को निरस्त करते हैं।"

13. चूंकि निर्धारण आदेश कर्मचारी की पहचान के संबंध में मौन है, इसलिए यह आदेश इस सुस्थापित स्थिति के विपरीत है कि बकाया राशि के मूल्यांकन के लिए लाभार्थियों की पहचान बहुत आवश्यक है क्योंकि इसे व्यक्तिगत लाभार्थी के खाते में जमा किया जाना है जो ईपीएफ अधिनियम का सदस्य है, ऐसे में ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 अपास्त किये जाने योग्य है तथा इसे एतद्वारा अपास्त किया जाता है।"



- 9) बसंत कुमार मोहंती (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि एक स्थायी कर्मचारी जिसे उसके नियोजन के दौरान ठेकेदार की पसंद पर विभिन्न स्थापनों में रखा जा सकता है, उसे ठेका श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे किसी विशेष के काम के लिए या उसके संबंध में काम पर नहीं रखा गया है।

प्रासंगिक कंडिका 6 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“6. किसी कर्मकार को तब ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित माना जाएगा जब उसे प्रधान नियोजक के किसी विशेष कार्य के लिए या उसके संबंध में काम पर रखा जाता है। इसलिए, अवधारक कारक यह है कि क्या किसी कर्मकार को किसी स्थापन के काम में या उसके संबंध में काम पर रखा गया था। एक स्थायी कर्मचारी जिसे उसके नियोजन के दौरान ठेकेदार की पसंद पर विभिन्न स्थापनों में रखा जा सकता है, उसे ठेका श्रमिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसे किसी विशेष स्थापन के काम में या उसके संबंध में काम पर नहीं रखा गया है। इस निष्कर्ष के पीछे तर्क यह है कि जहां किसी व्यक्ति का नियोजन किसी भी स्थापन के किसी विशेष काम से असंबंधित है, वह ठेका श्रम नहीं है, क्योंकि उसके नियोजन का किसी भी स्थापन के किसी विशेष काम से कोई संबंध नहीं है। एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के निबंधनों को एक नमूने के रूप में दायर किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अन्य सुरक्षा गार्डों के लिए भी इसी तरह के निबंधन विद्यमान थे। दस्तावेज़ प्रदर्श ए का एक हिस्सा है। नियुक्ति आदेश सं. 1878/एस. डी. एस. दिनांक 31 जुलाई, 1982 की शर्तें 3 और 4, इस प्रकार है:

"3. कि आप संगठन के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे और आप हमारे साथ अपने नियोजन के दौरान किसी भी अन्य काम या पेशे या नियोजन में या तो मानदेय में या अन्यथा स्वयं को कहीं भी संलग्न नहीं करेंगे। आप ईमानदारी, नेकनीयती और निष्ठा के साथ काम करेंगे।

4. कि आप बिना किसी अतिरिक्त भत्ते या लाभ के संगठन की किसी भी इकाई में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(मेरे द्वारा बल दिया गया)



- 10) बीओसी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड के नाम से विख्यात) (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि स्थापन के परिसर में काम करना, कारखाने में व्यक्तियों की आकस्मिक या कभी-कभार उपस्थिति की स्थितियों को अपने दायरे में नहीं ले सकता। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवहन की गतिविधि में परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसे अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अंशदान के संदाय का आधार नहीं बनाया जा सकता है। प्रासंगिक कंडिका 12 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"12. वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादीगण ने कारखाने के परिसर के भीतर सिलेंडरों के परिवहन की गतिविधि में किसी भी व्यक्ति को संलग्न नहीं पाया था। उन्होंने केवल यह माना था कि परिवहन की गतिविधि में परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस संबंध में, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि "स्थापन के परिसर में काम करना" शब्द के अन्तर्गत कारखाने में व्यक्तियों की आकस्मिक या कभी-कभार उपस्थिति की स्थिति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है कि सिलेंडरों को लादने और खाली सिलेंडरों को उतारने के उद्देश्य से वाहन के चालक और ग्रामीणों को परिसर में प्रवेश करना पड़ता है। यही बात विभिन्न व्यक्तियों के प्रकरण में भी लागू होती है, जिन्हें कच्चा माल उतारने या यहां तक कि श्रमिकों को कारखाना परिसर तक पहुंचाने का काम भी करना पड़ता है। यदि केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रवेश को ही मानदंड माना जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन से कारखाने में प्रवेश करता है, इस परिभाषा के अंतर्गत आने का हकदार है। इसे अभिव्यक्ति का ऐसा उद्देश्य होना कभी नहीं कहा जा सकता है। परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "वह व्यक्ति जिसने कारखाने के परिसर में निष्पादन का कार्य किया है" औद्योगिक स्थापन की मुख्य गतिविधि के निष्पादन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति को इंगित करते हैं, न कि आकस्मिक प्रवेश को।"

- 11) स्पिंगडेल्स स्कूलस एवं अन्य विरुद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहली, कर्मचारियों को स्थापन का कार्य या उससे संबंधित कार्य करना चाहिए; दूसरी, उनके



वेतन का संदाय नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि एक कर्मचारी को स्थापन का कार्य या उससे संबंधित कार्य करने वाला माना जाएगा यदि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वह विशेष रूप से स्थापन के काम से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रासंगिक कंडिका 6, 7 और 8 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“6. आर. पी. एफ. सी. ने आक्षेपित आदेश में निर्धारित किया है कि ट्रांसपोर्टर द्वारा नियोजित कर्मचारियों को याचिकाकर्ताओं का कर्मचारी माना जाएगा और उन्हें पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 च के अर्थ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। यह धारा निम्नानुसार है:

“2(च) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्थापन में या उसके काम के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कार्य में चाहे वह शारीरिक हो या अन्यथा, मजदूरी पर नियोजित किया गया है, और जो नियोजक से सीधे या परतः अपनी मजदूरी पाता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो,-

- (i) स्थापन में या उसके काम के संबंध में ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किया गया;
- (ii) शिक्षा के रूप में, जो शिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षु नहीं है या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन लगाया गया है;

7. अन्य में से जिन दो शर्तों को पूरा किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:

- (i) कर्मचारी स्थापन में या उसके काम के संबंध में कार्यरत हो;
- (ii) उनके मजदूरी का संदाय नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता हो।

8. ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आशंका है कि वर्तमान प्रकरण में इनमें से कोई भी शर्त पूरी हो रही है। किसी कर्मचारी को स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में कार्यरत माना जाएगा, यदि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल स्थापन के कार्य से संबंधित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, जहां तक याचिकाकर्ताओं





का संबंध है, वे केवल किराया दे रहे थे, जिसका ट्रांसपोर्टर द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। अंतर तब स्पष्ट हो जाता है जब एक संविदा की तुलना में जो सुरक्षा संविदा की प्रकृति में है और नियोक्ता और ठेकेदार के बीच एक करार में, ठेकेदार को प्रमुख नियोक्ता की स्थापन में सुरक्षा कर्मी प्रदान करना होता है। ऐसे संविदाओं में, कर्मचारी को मुख्य नियोक्ता के परिसर में अभिनियोजित किया जाएगा और संविदा में सामान्यतः प्रति कर्मचारी अभिनियोजन के हिसाब से भुगतान शामिल होता है, जो वेतन को दर्शाता है, जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है।"

12) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, हैदराबाद स्थित आंध्र

प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जहां यह अभिनिर्धारित किया गया

है कि स्थापन के परिसर में काम करना कारखाने में व्यक्तियों की आकस्मिक या कभी-

कभार उपस्थिति की स्थितियों को अपने दायरे में नहीं ले सकता। ठेकेदार द्वारा नियुक्त

श्रमिक केवल लदान के उद्देश्य से अपीलार्थी-निगम के डिपो के परिसर में आकस्मिक

प्रवेश करते हैं और वे उक्त कार्य के सम्यक निष्पादन के लिए केवल ठेकेदार के प्रति

उत्तरदायी हैं, अपीलार्थी-निगम के प्रति नहीं। कंडिका 21, 22 और 23 को नीचे पुनः

प्रस्तुत किया गया है:-

"21. बीओसी इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सहायक क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

इस संबंध में, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि "स्थापन के परिसर में काम करना" शब्द के अंतर्गत, कारखाने में व्यक्तियों की आकस्मिक या कभी-कभार उपस्थिति की स्थितियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि सिलेंडरों को लादने और खाली सिलेंडरों को ढुलाने के लिए वाहन चालक और हमालों को परिसर में प्रवेश करना पड़ता है। यही बात विभिन्न व्यक्तियों के प्रकरण में भी लागू होती है, जिन्हें कच्चा माल उतारने या यहां तक कि श्रमिकों को कारखाना परिसर तक पहुंचाने का काम भी करना पड़ता है। यदि केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रवेश को ही मानदंड



माना जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन से कारखाने में प्रवेश करता है, इस परिभाषा के अंतर्गत आने का हकदार है। इसे कभी भी इस अभिव्यक्ति का अभिप्राय नहीं कहा जा सकता। परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "कारखाने के परिसर में निष्पादन करने वाला व्यक्ति" औद्योगिक स्थापन की मुख्य गतिविधि के निष्पादन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति को इंगित करता है, न कि आकस्मिक प्रवेश को।

22. वर्तमान प्रकरण में भी, ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक केवल लदान के उद्देश्य से अपीलार्थी-निगम के डिपो के परिसर में आकस्मिक प्रवेश करते हैं और वे उक्त कार्य के सम्यक निष्पादन के लिए केवल ठेकेदार के प्रति उत्तरदायी हैं, न कि अपीलार्थी-निगम के प्रति।

23. उपरोक्त निर्णय में अधिकथित सिद्धांतों के आलोक में और वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मिंदल या उनके द्वारा लदान और ढुलाई के उद्देश्य से अभिनियोजित किये गए श्रमिक, इसलिए अधिनियम की धारा 2 (9) (ii) सहपठित धारा 2 (13) के अंतर्गत "कर्मचारी" के अर्थ के भीतर नहीं आते हैं और न ही अपीलार्थी निगम को ऐसे श्रमिकों के संबंध में "प्रमुख नियोक्ता" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत ऐसे श्रमिकों के संबंध में अंशदान एकत्र करने के लिए अपीलार्थी-निगम पर कोई दायित्व आबद्ध नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष पोषणीय नहीं है और तदनुसार आक्षेपित आदेश दिनांक 24.8.2006 अपास्त किया जाता है।"

- 13) शियोंग शि टेनरी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि लदान/ढुलाई के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने वाले स्थापनों को अधिनियम, 1952 की धारा 7(ए) के अंतर्गत साक्ष्य और जांच के अभाव में प्रमुख नियोक्ता नहीं माना जा सकता। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि भविष्य निधि विभाग में पंजीकृत तथा स्वतंत्र कोड संख्या वाले ठेकेदारों को स्वतंत्र नियोक्ता माना जाना चाहिए। प्रासंगिक कंडिका 14 से 17 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"14. यहां प्रश्न यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता अपने इस तर्क के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे कि उन्होंने 20 व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया था, अपितु उन्होंने पूरा काम एक ठेकेदार को



आउटसोर्स किया था और काम पूरा होने के बाद ठेकेदार को एकमुश्त राशि का भुगतान किया था। प्रश्न यह है कि क्या प्राधिकारी, जो एक वैधानिक प्राधिकारी है, ने याचिकाकर्ताओं द्वारा देय राशि का निर्धारण करने से पहले प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपने में निहित शक्ति का प्रयोग किया था। इस प्रकरण में, याचिकाकर्ताओं के तर्क का परीक्षण कथित ठेकेदार को सम्मन भेज कर और उसका साक्ष्य दर्ज कर किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, नियोजित व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए था या कम से कम ठेकेदार की पंजी और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए था ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों के वेतन से ऐसी राशि काटी गई थी या नहीं। इसके अतिरिक्त, जहां ठेकेदार, मानवकार्यशक्ति की सेवाएं प्रदान करने वाला नियोक्ता था, तथा नियुक्ति पत्र जारी करने, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करने, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और सेवाओं की समाप्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के माध्यम से स्थापनों को उसके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कार्मिकों पर नियंत्रण रखता था, ऐसे ठेकेदार और उस स्थापन, जहां उसके द्वारा मानवकार्य शक्ति की आपूर्ति की गई थी, के बीच संबंध प्रधान से प्रधान का होगा, न कि नियोक्ता-ठेकेदार का। ऐसी स्थिति का आकलन भी प्राधिकरण द्वारा 7ए कार्यवाही में साक्ष्य लेकर किया जाना चाहिए था। ठेकेदार को सम्मन दिया जाना चाहिए था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि भविष्य निधि विभाग में पंजीकृत तथा स्वतंत्र कोड संख्या वाले ठेकेदारों को स्वतंत्र नियोक्ता माना जाना था। ऐसे ठेकेदारों को नियुक्त करने वाले स्थापनों को मुख्य नियोक्ता नहीं माना जा सकता। इस पहलू पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए था। वर्तमान प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत देयता इस धारणा पर तय की गई थी कि कुछ व्यक्तियों (अज्ञात और अनभिज्ञ) को याचिकाकर्ताओं का काम करने के लिए ठेकेदार द्वारा अभिनियोजित किया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता ऊपर बताई गई राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी थे।

15. विधि अंतर्गत भविष्य निधि अधिकारियों को प्रत्येक कर्मकार का लेखा-जोखा रखना आवश्यक था। उनके नाम, पते और पहचान आदि प्राधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए तथा कुर्क की गई राशि को प्राधिकारियों द्वारा किसी कथित ठेकेदार के संदर्भ में असीमित अवधि तक नहीं रखा जा सकता। भविष्य निधि बकाया याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकारियों को संदेय कर नहीं हैं। यह एक कल्याणकारी उपाय के रूप में कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि है। प्राधिकारी का यह कर्तव्य था



कि वह कथित बीरेन्द्र को, जिसे प्राधिकारियों ने ठेकेदार बताया था, बुलाए, ताकि सही स्थिति का आकलन किया जा सके तथा याचिकाकर्ताओं की अंतिम देयता का आकलन करने से पहले श्रमिकों की पहचान की जा सके। मेसर्स मंटू बीरी फैक्ट्री (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) के निर्णय का अवलंब लिया गया है।

16. राज कुमार गुप्ता (पूर्वोक्त) के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भविष्य निधि अधिकारी केवल व्यक्तियों की संख्या या समूह की गणना के आधार पर चेहराविहीन, नामविहीन या गैर-पहचान योग्य कर्मकारों के संबंध में नियोक्ताओं से अंशदान एकत्र या बाध्य नहीं कर सकते। उक्त प्रकरण में, न्यायालय ने नियोक्ता को धन वापसी का दावा करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अभिनिर्धारित किया था कि केवल संख्या या समूह की गणना के आधार पर अज्ञात, अनाम या पहचान नहीं किये जाने योग्य कर्मकारों से राशि की वसूली विधि में स्वीकार्य नहीं है।

17. हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है। उक्त निर्णय में अधिकथित प्रतिपादन के साथ कोई विवाद नहीं है, कि प्रधान आयुक्त ठेकेदार के कर्मचारी का आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए बाध्य था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण में, प्रश्न यह था कि क्या ठेकेदार के कर्मचारियों के संबंध में अंशदान देय था, यद्यपि अनुबंध निगम द्वारा ऐसे अंशदान की मांग किए जाने से बहुत पहले पूरा हो गया था। इस प्रकार तथ्य भिन्न भिन्न है।"

- 14) हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादी-कंपनी का यह कर्तव्य था कि वह अनुबंध के प्रारंभ में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का आवश्यक विवरण प्राप्त करे क्योंकि अंशदान के भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है। प्रासंगिक कंडिका-3 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"3. हमें खेद है कि दोनों न्यायालयों द्वारा दिया गया आधार न्यायोचित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत, उत्तरवादी-कंपनी का कर्तव्य था कि वह संविदा की शुरुआत में ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों का आवश्यक



विवरण प्राप्त करे क्योंकि योगदान के भुगतान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता पर होती है। इस स्वीकृत तथ्य पर कि उत्तरवादी-कंपनी ने काम को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार को नियुक्त किया था, उत्तरवादी-कंपनी का यह भी कर्तव्य था कि वह कर्मचारी राज्य बीमा [सामान्य] विनियम, 1950 के विनियम 12, 14 और 15 के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों को अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र जारी करवाए और अधिनियम की धारा 40 के अनुसार आवश्यक अंशदान का संदाय करे। चूंकि उत्तरवादी कंपनी अपने दायित्व में विफल रही है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि कर्मकारों की पहचान नहीं की जा सकती। यह उत्तरवादी-कंपनी की विशेष जानकारी में था कि उसके ठेकेदार द्वारा कितने कर्मकारों को नियोजित किया गया था। यदि उत्तरवादी-कंपनी ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का विवरण प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे केवल अपनी व्यतिक्रम के लिए धन्यवाद देना होगा। चूंकि वास्तव में कर्मकारों को ठेकेदार द्वारा प्रश्रुत कार्य को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया था और उत्तरवादी-कंपनी अंशदान का भुगतान करने में विफल रही थी, इसलिए अपीलार्थी-निगम अंशदान की मांग करने का हकदार था, तथापि अंशदान अवधि और संबंधित लाभ अवधि दोनों समाप्त हो चुकी थी। अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना, विकलांगता, बीमारी, प्रसूति आदि की स्थिति में कर्मकारों को लाभ प्रदान करने के लिए बीमा करने की योजना सामान्यतः बीमा से भिन्न है। अधिनियम के अंतर्गत, यह योजना समूह बीमा के समान है। संदत्त अंशदान, बीमाकृत कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत लाभ पाने का हकदार बनाता है। तथापि, यदि लाभ अवधि के दौरान वह किसी भी लाभ के लिए योग्य नहीं होता है, तो उसे अंशदान का कोई हिस्सा वापस नहीं मिलता है। उसके और उसके नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान अधिनियम के अंतर्गत सृजित बीमा कोष में जमा कर दिया जाता है तथा यदि वह नियोजन में बना रहता है तो यह अन्य लाभ अवधियों के दौरान दूसरों के लिए या स्वयं उसके लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त, किए गए अंशदान और प्राप्त लाभ के बीच कोई संबंध नहीं है। यह अंशदान सभी कर्मकारों के लिए एक समान है तथा यह उनके द्वारा अर्जित मजदूरी का एक प्रतिशत होता है। इसका उन जोखिमों से कोई संबंध नहीं है जिनके विरुद्ध कर्मकार वैधानिक रूप से बीमित है। यही कारण है कि अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब कारखाना या स्थापन अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है तो अंशदान का भुगतान करने की बाध्यता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, तथा अंशदान का भुगतान करने की बाध्यता ऐसे कारखाने या स्थापन पर अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रारंभ हो जाती है। यह दायित्व





तभी समाप्त हो जाता है जब अधिनियम कारखाने/स्थापन पर लागू होना बंद हो जाता है। योगदान करने का दायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि क्या विशेष कर्मचारी या कर्मचारीगण अंशदान अवधि और लाभ अवधि समाप्त होने के बाद नियोजित कर्मचारी नहीं रह जाते हैं।"

- 15) मेसर्स आईटीसी लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारियों की सूची बनाए रखना और प्राधिकारी को उनकी पहचान बताना नियोक्ता और ठेकेदार का कर्तव्य है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता स्थापन ने काम को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार को संबद्ध किया था। इसलिए, कर्मकारों को जारी एक अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र दिलाना और अंशदान का संदाय करना स्थापन का कर्तव्य है। प्रासंगिक कंडिका-19 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"19. प्रथम उत्तरवादी ने माना कि योजना की कंडिका ए एवं बी के अनुसार, कर्मचारियों की सूची बनाए रखना और प्राधिकारी को उसकी पहचान बताना नियोक्ता और ठेकेदार का कर्तव्य है। ईएसआईसी विरुद्ध हरिसन मलायन प्रा.लि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता स्थापन ने काम को निष्पादित करने के लिए ठेकेदार को नियुक्त किया था। इसलिए, कर्मकारों को जारी अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करना और अंशदान संदत्त करना स्थापन का कर्तव्य है। चूंकि कंपनी ऐसा करने में विफल रही, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि कर्मकारों की पहचान नहीं की जा सकती। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश है।"

- 16) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7ए को संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

7क. नियोजकों द्वारा शोध्य धन का अवधारण—

(1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोई भी केंद्रीय भविष्य-निधि अपर आयुक्त, कोई भी भविष्य निधि उपायुक्त, कोई भी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त या कोई भी भविष्य निधि सहायक आयुक्त, आदेश द्वारा-



(क) किसी ऐसे प्रकरण में जहां कोई विवाद किसी स्थापन को इस अधिनियम के लागू किए जाने के संबंध में उठता है, ऐसे विवाद का विनिश्चय कर सकेगा; और

(ख) यथास्थिति, इस अधिनियम, स्कीम या पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम के किसी उपबंध के अधीन किसी नियोजक द्वारा शोध्य रकम का अवधारण कर सकेगा, और किसी भी पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

17) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2 (च) को

निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

2 (च) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्थापन में या उसके काम के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कार्य में चाहे वह शारीरिक हो या अन्यथा, मजदूरी पर नियोजित किया गया है, और जो नियोजक से सीधे या परतः अपनी मजदूरी पाता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो,-

(i) स्थापन में या उसके काम के संबंध में ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किया गया;

(ii) शिक्षा के रूप में, जो शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षु नहीं है या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन लगाया गया है;

(चच) "छूट-प्राप्त कर्मचारी" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे यदि धारा 17 के अधीन प्रदत्त छूट न मिली होती तो यथास्थिति, स्कीम या बीमा स्कीम लागू होती;

(चचच) छूट-प्राप्त स्थापन से वह स्थापन अभिप्रेत है जिसके बारे में धारा 17 के अधीन यथास्थिति, किसी स्कीम या बीमा स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट अनुदत्त की गई है चाहे ऐसी छूट स्थापन को या उसमें नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुदत्त की गई हो ;

18) वर्तमान प्रकरण में, ए.पी.एफ.सी. द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें

याचिकाकर्ता को स्थापन के साथ लदान/दुलाई कर्मकारों से संबंधित सभी अभिलेख

जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि



याचिकाकर्ता प्रमुख नियोक्ता है क्योंकि परिवहन कार्य में लगे लदान और ढुलाई कर्मकार/मजदूर ट्रांसपोर्टर के कर्मचारी हैं। संबंधित प्राधिकारी ने ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अधिनियम 1952 की धारा 2च की परिभाषा का अवलंब लिया था।

- 19) अधिनियम, 1952 की धारा 7-क को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयुक्त को नियोक्ता से देय धनराशि निर्धारित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता है। जांच करते समय आयुक्त किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है; दस्तावेज को खोजने और प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है तथा शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

- 20) आयुक्त को यह निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि अधिनियम 1952 के प्रावधान स्थापन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसके बाद राशि के परिमाण निर्धारण के लिए अधिनियम 1952 की धारा 7क के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

- 21) वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को सूचना जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल कर कहा कि लदान और ढुलाई कर्मचारी पूरी तरह से ट्रांसपोर्टरों द्वारा नियोजित किये जाते हैं और याचिकाकर्ता का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी अभिवाक किया गया कि ट्रांसपोर्टर उन्हें उनके द्वारा किए गए काम के अनुसार मजदूरी देते हैं और वे कोई पंजी संधारित नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्टरों ने लदान/ढुलाई के लिए 20 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया है। इसलिए, अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी अभिवाक किया गया कि कर्मकार कहीं और नौकरी हासिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।



- 22) याचिकाकर्ता ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए दो ठेकेदारों का परीक्षण किया। उन ठेकेदारों ने क्षतिपूर्ति बंधपत्रों को निष्पादित किया था और उन बंधपत्रों को आक्षेपित आदेश का आधार बनाया गया है। ठेकेदार संजय देशलहरा और जगदीश छतवान ने याचिकाकर्ता के प्रकरण का समर्थन किया है।
- 23) अधिनियम, 1952 की धारा 2 (झ) (ग) में "विनिर्माण" या "विनिर्माण प्रक्रिया" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ को उसके प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन के दृष्टिकोण से उसका निर्माण, परिवर्तन, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, उन्मूलन, विघटन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने की कोई भी प्रक्रिया।
- 24) एपीएफसी ने अभिनिर्धारित किया था कि याचिकाकर्ता विनिर्माता या विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि गैस अन्वेषण और शोधन के बाद, प्राकृतिक गैस स्थापन इसे सिलेंडरों में स्थानांतरित करता है।
- 25) विद्वान ए. पी. एफ. सी. ने अभिनिर्धारित किया था कि "में या उसके काम के संबंध में" बहुत महत्वपूर्ण है और यह मायने नहीं रखता कि कर्मचारी किसके द्वारा नियोजित था। विभाग ने एक ठेकेदारों में से एक की परीक्षा की थी, जिसने कथन किया कि उसने कार्यस्थल के पास ही मजदूरों को रखा था और उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारियों की पहचान के संबंध में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- 26) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य निगम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि आयुक्त को अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अनुसार



व्यक्तियों या कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करके जांच करने की आवश्यकता है। उत्तरवादीगण कर्मचारियों को पहचान के लिए बुलाने में विफल रहे और यह भी नहीं माना गया था कि 1952 का अधिनियम वर्तमान प्रकरण में प्रयोज्य होगा।

27) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारियों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त द्वारा जांच की जानी चाहिए। अधिनियम, 1952 को लागू करने के लिए एक दस्तावेजी के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य भी होना चाहिए।

28) हैरिसन मलयालम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तरवादी-कंपनी का यह कर्तव्य था कि वह अनुबंध के प्रारंभ में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का आवश्यक विवरण प्राप्त करे क्योंकि अंशदान के संदाय की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है।

29) ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत उत्तर से दर्शित होता है कि गैस सिलेंडरों के लदान/दुलाई में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं लगे हुए थे। कर्मचारियों की पहचान संभव नहीं थी। यहाँ तक कि ठेकेदार भी अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का विवरण देने की स्थिति में नहीं थे; इस प्रकार, उत्तरवादी द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है।

30) उपरोक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, मेरे अभिमत में, सहायक पी. एफ. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है और विद्वान कर्मचारी भविष्य



निधि अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ने भी इसकी पुष्टि करते हुए विधिक त्रुटि की है, इसलिए, दोनों आदेश (अनुलग्नक पी/1 और अनुलग्नक पी/2) एतद्वारा रद्द किये जाते हैं।

31) उत्तरवादी अधिकारी पूर्णतः अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार एक नई जांच शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

32) वाद-व्यय(यों) के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

नदीम





डब्ल्यू.पी.एल. सं. 1027/2011

शीर्ष टिप्पण

According to the provisions of Section 7A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, employees engaged by contractors for loading/unloading, cannot be treated employees of the establishment, in the absence of cogent evidence and an enquiry under Section 7A of the Act, 1952.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के उपबंधों के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा लदान/दुलाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों को, ठोस साक्ष्य तथा अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत जांच के अभाव में, स्थापन का कर्मचारी नहीं माना जा सकता।

====0000=====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।